



ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow

(Uttar Pradesh State Government University)



संख्या : 1169 / भावि / कुसका / 2024 / 49 / 10(3)

दिनांक : 03 सितम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन दिनांक 03.08.2024 के क्रम में मुझे यह सूचित करना है कि उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 25(2)(xi) के अन्तर्गत निम्नलिखित शिक्षाविदों को विद्या परिषद के वाह्य सदस्य के रूप में पत्र निर्गमन की तिथि से 03 वर्षों के लिए नामित किया जाता है—

1. प्रो० बलराज चौहान, पूर्व आचार्य, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं पूर्व कुलपति, डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. प्रो० एस०पी० शुक्ला, आचार्य, सिविल इंजीनियरिंग आई०ई०टी० लखनऊ एवं निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बोंदा।
3. प्रो० अब्बास रजा नैय्यर, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. प्रो० हरिशंकर सिंह, संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, बी०बी०ए०यू०, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ
5. प्रो० आद्या प्रसाद पाण्डेय, पूर्व आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, बी०एच०यू०, वाराणसी एवं पूर्व कुलपति, मणिपुर विश्वविद्यालय।

(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति को माननीय कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. नामित सदस्यगण।
3. वित्त अधिकारी।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

amisha

कुलसचिव।